पत्रसं0-चे0पो0-25क-पारगमन प्राधिकार पत्र व्यवस्था/2008-2009/ 080906 2 /वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश

(चेकपोस्ट अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 15 सितम्बर, 2008

समस्त

असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्यकर अधिकारी ,

जांच चौकी / सचल दल

वाणिज्यकर, उ0प्र0 ।

Key word 1-30-Transit Pass

सेक्रेटरी केन्द्रीय सिंचाई व शक्ति मण्डल मालचा मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली के द्वारा इस आशय का प्रत्यावेदन दिया गया है कि दिनॉक 19 से 25 सितम्बर 08 तक होटल जे0पी0पैलेस आगरा में वर्ल्ड टनेल कांग्रेस का सामान्य 34 वॉ अधिवेशन आयोजित किया गया है । इस अधिवेशन मे देश एवं प्रदेश के बाहर से सुरंग संबंधी उपकरण प्रदर्शनी हेतु आगरा लाये जाएँगे एवं प्रदर्शनी के बाद इन्हें पुन: वापस ले जाया जाएगा । प्रांत मे इनकी कोई बिक्री नही की जायेगी ।

प्रत्यावेदन में प्रदर्शनी हेतु लाये जाने वाले उपकरणों तथा प्रदर्शनी के बाद इन्हें वापिस ले जाने की व्यवस्था निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है ।

सेक्रेटरी केन्द्रीय सिंचाई व शक्ति मण्डल मालचा मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली के प्रत्यावेदन पर विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रदर्शनी में जो व्यवसायी भाग लेने के उद्देश्य से अपना सामान लेकर देश/प्रांत बाहर से आये तो इस अधिवेशन/प्रदर्शनी के लिए लाने वाले माल के संबध मे सेक्रेटरी केन्द्रीय सिंचाई व शक्ति मण्डल मालचा मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली के हस्ताक्षर से जारी /प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार पारगमन प्राधिकार पत्र जारी कर दिया जाये तथा अधिवेशन/प्रदर्शनी के समाप्त होने पर वापस प्रांत बाहर जाते समय नियमानुसार पारगमन प्राधिकार पत्र खारिज कर दिया जाये ।चूंकि प्रकरण में प्रवेश जांच चौकी और निर्गमन जांच चौकी एक ही रहेगी अत: पारगमन प्राधिकार पत्र जारी और खारिज करते समय लाये जा रहे एवं वापस ले जाये जा रहे माल के भौतिक सत्यापन करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित जांच चौकी के अधिकारियो की रहेगी ।-

इस अधिवेशन/प्रदर्शनी में प्रदर्शन हेतु मशीनरी भी लायी जा सकती है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Director of Entry Tax and others Vs Mahindra and Mahindra and anothers (2003)11एस0 सी0सी0 -749 के मामले मे सिविल अपील सं0 4164-66/96 के निर्णय दि0 02-05-01 में यह कहा गया है कि यदि मशीन या उपकरण को किसी प्रर्दशनी में चलाकर या प्रयोग कर उसका उपयोग बताया जाए तो वह निश्चित ही उपयोग की श्रेणी में आएगा । प्रवेश कर की देयता उपयोग / प्रयोग / बिक्री पर है ।अत: इस प्रकरण में यदि प्रवेश कर की देयता बनती है तो जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, आगरा जिस कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में उक्त प्रदर्शनी स्थल आता है , उस कर निर्धारण अधिकारी से यह सुनिश्चित करायेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Director of Entry Tax and others Vs Mahindra and Mahindra and anothers (2003)11एस0 सी0सी0 -749 के मामले मे सिविल अपील सं0 4164-66/96 के निर्णय दि0 02-05-01 के अनुरुप यदि प्रवेश कर देय है तो प्राप्त होने वाला प्रवेशकर अधिवेशन/प्रदर्शनी अवधि मे ही जमा हो जायें । इस संबंध में जांच चौकियों से कांफ्रेंस में भाग लेने वाले प्रदर्शन -कर्ताओं को जारी किये गये मूल पारगमन प्राधिकार पत्रों के आधार पर कांफ्रेंस स्थल पर आयी मशीनरी के संबंध में तीन प्रतियों में इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि " जांच चौकी -------------से जारी पारगमन प्राधिकार पत्र संख्या--------------दि0-------------के क्रमांक--------- पर अंकित प्रदर्शन के लिए लाई गयी मशीन का उपयोग कांफ्रेंस में किया गया है एवं इस पर देय प्रवेश कर रु0 ------------ चालान संख्या / बैंक ड्राफ्ट संख्या-------------दि0------------- से जमा किया गया है/पारगमन प्राधिकारपत्र के क्रमांक----- पर अंकित मशीन पर प्रवेश कर की देयता नहीं बनती है । अत: प्रवेश कर जमा नहीं कराया गया है । " इस प्रमाण पत्र की दो प्रतियॉ संबंधित व्यापारी को दी जायेगी , जिसमें से एक प्रति संबंधित जाँच चौकी पर बहती खारिज करने के समय प्राप्त की जायेगी । प्रमाण पत्र की एक प्रति जारी करने वाले अधिकारी अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे ।

पारगमन प्राधिकार पत्र खारिज न होने पर अथवा प्रांत के अंदर माल की बिक्री किया जाना पाये जाने पर नियमानुसार अर्थदण्ड / कर निर्धारण की कार्यवाही की जाये। पारगमन प्राधिकार पत्र खारिज करने हेतु 15 दिन का समय दिया जा सकता है।इस प्रदर्शनी में भाग लेने वाले व्यवसाईयों को जिस वाणिज्य कर जांच चौकी से पारगमन प्राधिकार पत्र जारी किये जायेंगे उसी वाणिज्य कर जांच चौकी को निर्गमन जांच चौकी के रूप में उक्त संबध में कार्यवाही करना होगा। अधिवेशन/प्रदर्शनी हेतु लाये गये माल की बिक्री नही की जायेगी एवं समस्त माल अधिवेशन/प्रदर्शनी समाप्त हो जाने के बाद वापस ले जाया जायेगा।

उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।

(दीपक कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव,संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
2. सेक्रेटरी केन्द्रीय सिंचाई व शक्ति मण्डल मालचा मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ की कृपया अधिवेशन/प्रदर्शनी मे भाग लेने वाले व्यवसाइयो को संदर्भित समाग्री लाने के विषय मे प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करे जिससे व्यवसाईयो द्वारा जांच चौकियों पर प्रस्तुत किये जाने पर प्रात के अन्दर लाये जाने वाले माल के संबध मे पारगमन प्राधिकार पत्र जारी व वापसी के समय खारिज किया जा सके।
3. जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर आगरा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दि0 2-5-2001 की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि यदि इस कार्य में खण्डाधिकारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों की भी ड्यूटी कांफ्रेसं स्थल पर लगाये जाने की आवश्यकता समझते हैं तो वे अपने स्तर से कृपया स्थानीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर कार्य सम्पादित करायेंगे तथा यह सुनिश्चित करायेंगे कि न तो प्रवेश कर का अपवंचन हो और न ही कांफ्रेसं में भाग लेने वाले प्रदर्शनकर्ताओं को कोई असुविधा हो।
4. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर, उ0 प्र0 ।
5. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर उ0प्र0।
6. समस्त डिप्टी कमिश्नर (चेकपोस्ट / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, उ0प्र0।
7. समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर/ वाणिज्य कर अधिकारी (सचल दल) वाणिज्य कर, उ0प्र0।
8. चेकपोस्ट अनुभाग को 05 प्रतियॉ अतिरिक्त।

(वी0 पी0 श्रीवास्तव)
ज्वाइंट कमिश्नर (चेकपोस्ट) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।